

# झारखण्ड सरकार खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

## अधिसूचना

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 सहपठित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या G.S.R. 213 (E) दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कड़िका-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन/रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के संबंध में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 को विलोपित करते हुए "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024" निम्नवत् किया जाता है -

## अध्याय-I (प्रारंभिक)

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (i) इस आदेश का नाम "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024" है।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह आदेश झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

### 2. परिभाषाएँ

- (i) 'नियंत्रण आदेश' से अभिप्रेत झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 है;
- (ii) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10);
- (iii) 'केन्द्रीय आदेश' से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 एवं समय-समय पर संशोधित आदेश;
- (iv) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;
- (v) 'विभाग' से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार;
- (vi) 'खाद्य आयुक्त' से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार;
- (vii) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड;
- (viii) 'निदेशक' से अभिप्रेत है खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड के निदेशक;
- (ix) 'अपील प्राधिकारी' से अभिप्रेत है उपायुक्त अथवा इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी;
- (x) 'प्राधिकारी' से अभिप्रेत है राज्य सरकार में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यरत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून श्रेणी का पदाधिकारी;

- (xi) 'निगम' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड;
- (xii) 'सक्षम पदाधिकारी' से अभिप्रेत है विभाग के द्वारा पदस्थापित/जिला के उपायुक्त के द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के पदाधिकारी, जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो।
- (xiii) 'अनुज्ञापन पदाधिकारी' से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी तथा इस आदेश के प्रावधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये पदाधिकारी जो अपने प्रक्षेत्र में जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अथवा इन पदों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे;
- (xiv) 'उचित मूल्य की दुकान' से अभिप्रेत है ऐसी दुकान जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डधारकों को इस आदेश के अधीन आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो;
- (xv) 'उचित मूल्य दुकान संचालक मालिक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति अथवा समूह जिन्हें, आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो;
- (xvi) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' से अभिप्रेत है वितरण की वह प्रणाली जिसके माध्यम से राशन कार्डधारकों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है;
- (xvii) 'राशन कार्ड' से अभिप्रेत है निम्नलिखित प्रकार के राशन कार्ड :-
- (a) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को जारी किया गया राशन कार्ड (गुलाबी कार्ड)।
- (b) अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड (पीला कार्ड)।
- (c) सफेद राशन कार्ड।
- (d) झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किया गया राशनकार्ड (हरा कार्ड)।
- (e) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी विशेष योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड।
- (xviii) 'अंत्योदय परिवार' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत चिन्हित किये गए वैसे परिवार जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड जारी किया गया हो;
- (xix) 'पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार' से अभिप्रेत है अध्याय-II के धारा-4 में वर्णित परिवार;
- (xx) 'पात्र आवेदक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो एवं जो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय;
- (xxi) 'आवंटन माह' से अभिप्रेत है वह माह जिसके लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है;
- (xxii) 'राशन कार्ड सेवा केन्द्र' से अभिप्रेत है प्रज्ञाकेन्द्र अथवा प्रखण्ड तथा नगर निकाय मुख्यालय में अवस्थित ऐसा केन्द्र जो राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कार्रवाई हेतु संसूचित हो;
- (xxiii) 'राशन कार्ड निर्गमन प्राधिकार' से अभिप्रेत है जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी से न्यून न हो।
- (xxiv) 'राज्य स्तरीय परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता' से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के अधीन गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों तक आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्ता;

- (xxv) 'डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता' से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों से उचित मूल्य दुकान संचालक (या PVTG परिवार के आवास तक) आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्ता एवं कर्मचारी।
- (xxvi) 'ई-पॉस मशीन' से अभिप्रेत है लाभुकों की पहचान का सत्यापन एवं विक्रय के पारगमन हेतु उचित मूल्य की दुकानों पर अधिष्ठापित मशीन।
- (xxvii) 'संपर्क पदाधिकारी (पी०एम०यू०)' से अभिप्रेत है जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत उचित मूल्यों की दुकान के संचालन के प्रबंधन हेतु गठित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी०एम०यू०) का सदस्य जो संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक हेतु उत्तरदायी हो।
- (xxviii) 'निरीक्षी पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अध्याय-VIII के धारा 34(i) के अन्तर्गत अधिसूचित पदाधिकारी।
- (xxix) "परिवार" से अभिप्रेत है कि एक चूल्हे से खाना खानेवाले पति, पत्नी एवं उनके बच्चे तथा पति के आश्रित माता, पिता एवं उन पर आश्रित सभी अविवाहित भाई-बहन।
- (xxx) "झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना" से आच्छादित परिवार से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित वैसे लाभुक परिवार, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में वर्णित पात्रता तो पूरा करते हैं, परन्तु वर्तमान में रिक्ति नहीं होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित नहीं है, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से विधिवत आच्छादित किया गया है।

## अध्याय-II (राशन कार्ड)

### 3. पात्रता

- (i) केन्द्रीय आदेश के अन्तर्गत राज्य हेतु निर्धारित जनसंख्या का प्रतिशत की अधिसीमा में जनवितरण प्रणाली से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार पात्रता निर्धारित की जाएगी।
- (ii) निम्नलिखित गृहस्थ/व्यक्ति राशन कार्ड पाने के पात्र होंगे;
- (क) केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को चालू किए गए अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आलोक में चयनित परिवार।
- (ख) पूर्वविक्रता पात्र गृहस्थ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवार।
- (ग) अन्य गृहस्थ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लक्षित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा विचार किए जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।
- (iii) उपखण्ड (ii)(क) के लाभार्थी प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के भागी होंगे।

- (iv) अन्त्योदय अन्न योजना के वर्तमान गृहस्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी लाभार्थी बने रहेंगे यदि वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों के अन्तर्गत पात्र होते हैं।
- (v) उपखण्ड (ii) (ख) में उल्लेखित पूर्वविकता पात्र गृहस्थ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के हकदार होंगे।

#### 4. पूर्वविकता पात्र गृहस्थ श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान

- (i) खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) में उल्लेखित अन्त्योदय अन्न योजना, पूर्वविकता पात्र गृहस्थों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुकों की पहचान विभाग द्वारा निर्धारित अपवर्जन एवं समावेशन मानकों के आधार पर की जाएगी। विभाग इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्ड निर्गत करने का निदेश जारी कर सकता है।

#### (ii) समावेशन मानक (Inclusion Criteria)

- (a) सभी व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (b) सभी विधवा, परित्यक्ता एवं Transgender, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (c) 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निःशक्त, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (d) सभी आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (e) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (f) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।

- (h) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/ झाड़ूकश (Sweeper)।
- (i) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/ अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/ घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/ कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/ रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।
- (j) फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/ फेरीवाला (Hawker)/ छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/ सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/ पेन्टर (Painter)/ वेल्डर (Welder)/ बिजली मिस्त्री (Electrician)/ मैकेनिक (Mechanic)/ दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) / माली (Mali)/ धोबी (Washerman)/ मोची (Cobbler)।

### (iii) अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria)

- (a) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/ नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित हो, अथवा;
- (b) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/सेवा कर/ व्यवसायिक कर/GST देता हो, अथवा;
- (c) वैसे परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा;
- (d) वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;
- (e) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, अथवा;
- (f) सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा;
- (g) वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो।

## 5. लाभार्थी के डाटा-बेस को सार्वजनिक पटल पर रखना

- (i) राज्य सरकार अंगीकृत डाटा बेस में राशन कार्ड के डाटा का अनुरक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नए राशन कार्ड को जारी करना एवं विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किए जाएं, जिससे डाटा बेस स्वतः अद्यतन हो जाए।
- (ii) राज्य सरकार लाभार्थियों की अंतिम सूची श्रेणीवार विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करेगी।
- (iii) सभी लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रत्येक लाभुक का सत्यापन सुनिश्चित कराया जायेगा।

## 6. राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली

राशन कार्ड के लिए ऑफलाईन या ऑनलाईन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों का डिजिटलईजेशन किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रणाली निम्नवत् होगी -

- (i) राशन कार्ड के प्रबंधन एवं अद्यतनीकरण हेतु एक वेब आधारित गतिशील राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली का संधारण किया जायेगा, जिसका उपयोग निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा;
  - (क) वैसे लाभार्थी, जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, किन्तु किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, नए राशन कार्ड के निर्गमन हेतु निशुल्क ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। सेवा केन्द्रों अथवा अन्य जगहों से ऑनलाईन आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
  - (ख) लाभार्थी अपना Biometric/OTP के माध्यम से विभागीय वेब पोर्टल से स्वतः अपना राशनकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
  - (ग) प्राप्त राशनकार्ड में किसी भी गलत प्रविष्टि में सुधार/बदलाव हेतु लाभार्थी समर्थन दस्तावेज के साथ ऑनलाईन निःशुल्क आवेदन समर्पित करेंगे।
  - (घ) राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के डाटाबेस से लाभार्थी के स्वेच्छापूर्वक वापसी, उनके अपात्र होने की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा उनकी मृत्यु होने पर संबंधित लाभार्थी का नाम हटा दिया जायेगा।
  - (ङ) लाभार्थी परिवार के बँटवारे की स्थिति में राशन कार्ड के दो या अधिक कार्डों में बँटवारे हेतु लाभार्थी निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेगा। लाभार्थी को प्राप्त राशन कार्डों में से एक पुराने नम्बर एवं शेष नए नम्बरों से जारी किए जायेंगे।
  - (च) लाभार्थी के 'अन्त्योदय परिवार' से 'पूर्वविक्ता परिवार' में स्थिति परिवर्तन होने पर राशन कार्ड हेतु लाभार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा। तदोपरान्त विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे पुराने राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड जारी किया जायेगा।
- (ii) राशन कार्ड के निर्माण/सुधार/रद्दीकरण आदि के लिए प्रणाली निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

### 1. नये राशन कार्ड का निर्गमन :-

वैसे लाभार्थी जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, वे नये गुलाबी, हरा अथवा सफेद राशन कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) सर्वप्रथम नये हरे राशन कार्ड का आवेदन परिवार की महिला मुखिया द्वारा दिया जायेगा। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला नहीं होने की स्थिति में इस आशय का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा एवं उक्त स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किन्तु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य ही संबंधित परिवार की मुखिया होगी। यदि उस परिवार में वयस्क महिला हैं और तब भी पुरुष सदस्य द्वारा ऐसे आवेदन दिये गये हों या दिये जायेंगे तो ऐसे आवेदन के निस्तारण के क्रम में व्यस्क महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा।
- (ख) नये राशन कार्ड को निर्गत करने हेतु परिवार के मुखिया के साथ-साथ सभी सदस्यों का आधार संख्या अपलोड करना होगा। कोई भी नया राशनकार्ड बिना आधार संख्या के नहीं निर्गत किया जा सकता है।

- (ग) नये राशन कार्ड को निर्गत करने हेतु आवेदनकर्ता को परिवार के समावेशन मानक में सन्निहित होने तथा अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा (नया प्रपत्र-VIII)।

आवेदकों द्वारा निर्धारित (प्रपत्र-10A में) ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जायेंगे, जिसमें आवेदकों की सम्पूर्ण विवरणी, स्वघोषणा के साथ-साथ आधार संख्या देना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल संख्या, बैंक खाता संख्या, इत्यादि सूचनाएँ अंकित किया जाना ऐच्छिक होगा। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

संबंधित पंचायत के मुखिया/शहरी निकाय के वार्ड पार्षद प्राप्त आवेदनों की पात्रता/निर्धारित समावेशन/अपवर्जन मानक के संदर्भ में समपुष्टि करेंगे। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच कर उक्त आवेदनों की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जन प्रतिनिधि की उपलब्धता नहीं होने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत सेवक एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित राजस्व कर्मचारी प्राप्त आवेदनों के पात्रता/निर्धारित समावेशन/अपवर्जन मानक के संदर्भ में की सम्पुष्टि करेंगे।

- (घ) आवेदन के जांच/सत्यापन के उपरान्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों को हरा रंग का पृथक राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा। यह राशन कार्ड विभागीय पोर्टल [www.aahar.jharkhand.gov.in](http://www.aahar.jharkhand.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

- (ङ.) उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलावार आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का Addition एवं Deletion एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके कारण जिलावार रिक्तियाँ घटती बढ़ती रहती हैं। जिलावार रिक्तियों के आलोक में ही अधिनियम के तहत नये लाभुकों को आच्छादित करते हुए नया राशनकार्ड निर्गत किया जा सकता है।

- (च) विभाग झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी हरा राशनकार्ड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुलाबी (PHH) राशनकार्ड में कार्डधारियों का स्थानान्तरण की कार्रवाई आवश्यकतानुसार करेगा।

- (छ) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत राशनकार्ड में सदस्यों को जोड़ने एवं हटाने की कार्रवाई, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभुकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण के पश्चात् झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध लाभुकों को हरा राशन कार्ड से आच्छादित किया जाना हर माह सतत् रूप से जारी रहेगा।

- (ज) संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी के जाँचोपरान्त की गयी अनुशंसा के आधार पर नये राशन कार्ड के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ससमय ऑनलाईन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।

**II. परिवार के बँटवारे की स्थिति में नये राशन कार्ड का निर्गमन :-**

राशन कार्डधारी लाभार्थी परिवार यदि पारिवारिक बँटवारे के कारण अपना नया अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हों, तो उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। यह आवेदन सीधे जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) परिवार बँटवारे की स्थिति में नया राशन कार्ड बनवाने का आवेदन (प्रपत्र-10 B(i) तथा 10 B(ii) में) परिवार के मुखिया अपने आधार संख्या एवं स्वघोषणा पत्र के साथ दे सकते हैं।
- (ख) आवेदनकर्ता को परिवार के अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा (प्रपत्र-VIII)।
- (ग) बँटवारे के कारण नया अलग राशन कार्ड बनवाने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ससमय ऑनलाईन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- (घ) आवेदन स्वीकृत करने की स्थिति में बँटवारे के पश्चात् पुराने (मूल) राशन कार्ड एक परिवार को तथा अन्य अलग हुए पात्र लाभुक परिवारों को पूर्वविकता प्राप्त अथवा अपात्र लाभुक की स्थिति में इच्छा होने पर सफेद राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।
- (ङ.) अन्त्योदय परिवार के बँटवारे की स्थिति में पुराना अन्त्योदय कार्ड को रद्द करते हुए बँटवारे के पश्चात् पात्र लाभुक परिवार/परिवारों को पूर्वविकता प्राप्त राशनकार्ड अथवा अपात्र हो जाने की स्थिति में इच्छा होने पर सफेद राशनकार्ड निर्गत किया जा सकेगा।
- (च) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् पुराने राशनकार्ड में बँटवारे के पश्चात् अलग हुए परिवार के सदस्यों का नाम हटाना एवं नये राशनकार्ड की स्थिति में अलग हुए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा।

**III. राशन कार्ड में पता बदलवाना :-**

वैसे लाभार्थी परिवार, जिनके पास राशन कार्ड है, एवं जो अपना आवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में पता बदलवाना चाहते हों तो ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड में पता बदलवाने का आवेदन (प्रपत्र-10 C में) परिवार के मुखिया अपने आधार संख्या के साथ दे सकते हैं।
- (ख) बायोमेट्रिक/आधार आधारित OTP के सत्यापन से डाटा में सुधार हो जायेगा।

**IV. पुराने राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ना :-**

वैसे लाभार्थी, जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। यह कार्य कंडिका-6 (ii) I. में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

V. एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ना :-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे विवाह जैसी परिस्थिति के अनुरूप एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ने हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन (प्रपत्र-10 E(i) तथा 10 E(ii) में) राशनकार्ड के संबंधित सदस्य जिसके नाम का स्थानांतरण प्रस्तावित है, के द्वारा दिया जायेगा।
- (ख) नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु उस सदस्य का आधार संख्या संलग्न करना होगा। पुराना राशनकार्ड झारखण्ड राज्य में स्थानांतरित ही होने की स्थिति में आधार आधारित बायोमेट्रिक/OTP आधारित सत्यापन के उपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ग) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड में नये सदस्यों के नाम जोड़ने का कार्य एवं पुराने राशनकार्ड में नाम हटाने का कार्य करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा।

VI. पुराने राशन कार्ड में सदस्य का नाम हटाना :-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के मृत, अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड में मृत अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने का आवेदन (प्रपत्र-10 F में) परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा। अगर सबसे व्यस्क महिला/मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु उपरान्त राशनकार्ड में होने वाले परिवार के अगले व्यस्क महिला/मुखिया के द्वारा आवेदन दिया जायेगा।
- (ख) मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो सिर्फ इसे ही अपलोड करने पर उनका नाम विलोपित कर दिया जायेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में मृत अथवा प्रवासी सदस्य का नाम हटाने हेतु परिवार के मुखिया को अपने आधार संख्या की छायाप्रति अपलोड करना होगा।
- (ग) मृत, अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने हेतु आवेदन के संबंध में संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरान्त विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस अनुरोध को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन निष्पादित किया जायेगा।
- (घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता/अन्य स्रोत/सर्वेक्षण आदि से मृत सदस्य का नाम हटाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला

आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त ससमय मृत सदस्य का नाम संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।

- (ड़) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड में सदस्यों के नाम हटाने का कार्य करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

#### VII. राशन कार्ड को सरेण्डर करना :-

वैसे लाभार्थी परिवार जो आर्थिक स्थिति में उन्नति होने के कारण स्वेच्छा से राशन कार्ड का सरेण्डर करना चाहते हों वे ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड को सरेण्डर करने का आवेदन (प्रपत्र-10 G में) परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।  
(ख) राशन कार्ड सरेण्डर करने हेतु मुखिया के द्वारा आधार आधारित बायोमेट्रिक/OTP आधारित सत्यापन के उपरांत स्वीकृति दी जा सकेगी।

#### VIII. अन्त्योदय परिवार से पूर्वविक्ता परिवार में स्थिति परिवर्तन होने पर राशन कार्ड का परिवर्तन :-

वैसे लाभार्थी परिवार जिनके पास अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है, वे आर्थिक स्थिति परिवर्तित होने के कारण स्वेच्छा से अपने कार्ड को पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में परिवर्तित करना चाहते हों तो विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड को अन्त्योदय अन्न योजना से पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में परिवर्तित करने का आवेदन परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।  
(ख) राशन कार्ड में उपर्युक्त बदलाव करने हेतु परिवार के मुखिया के द्वारा आधार आधारित बायोमेट्रिक/OTP आधारित सम्पुष्टि की प्रक्रिया के उपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।  
(ग) राशन कार्ड को अंत्योदय अन्न योजना से पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में बदलवाने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राशनकार्ड बदलने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

#### IX. पुराने राशन कार्ड में पारिवारिक मुखिया का बदलाव :-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के मुखिया के बदलाव ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) पारिवारिक मुखिया के बदलाव का आवेदन (प्रपत्र-10 H में) परिवार के सभी सदस्यों को अपने हस्ताक्षरयुक्त प्रतिशपथ पत्र द्वारा दिया जायेगा। साथ ही, उपर्युक्त राशनकार्ड में मुखिया का बदलाव किये जाने के कारण (मुखिया की मृत्यु, मुखिया का किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाना, मानसिक दिवालियापन आदि) का भी उल्लेख करना होगा तथा उक्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ख) राशन कार्ड में पारिवारिक मुखिया बदलवाने के आवेदन को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से निष्पादित किया जायेगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राशनकार्ड में मुखिया का नाम बदलने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

#### X. राशन कार्ड का रद्दीकरण—

निम्नांकित परिस्थितियों में भी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा और उनका पक्ष जाना जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त ससमय संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा :-

- (क) यदि राशन कार्डधारी का परिवार अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आ गया हो अथवा,
- (ख) यदि राशन कार्डधारी का पूरा परिवार अपने निवास स्थल पर लगातार छः माह से अधिक अवधि से नहीं रहता हो अथवा,
- (ग) यदि राशन कार्डधारी द्वारा लगातार छः माह से अधिक अवधि से जन वितरण प्रणाली दुकान से सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सामग्री का उठाव नहीं किया गया हो अथवा,
- (घ) यदि राशन कार्डधारी द्वारा अपना कार्ड सरेण्डर करने का आवेदन दिया गया हो अथवा,
- (ङ.) यदि राशन कार्डधारी द्वारा अपने आधार नम्बर पर एक से अधिक राशन कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड का उठाव किया गया हो, तो उसके मूल राशनकार्ड को छोड़कर शेष अन्य सभी संबंधित राशन कार्ड रद्द कर दिये जायेंगे।
- (च) कंडिका क, ख एवं ग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जाँचकर्ता द्वारा प्रपत्र 10। के अनुरूप आवेदन भरकर अपलोड की जायेगी।
- (छ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड के रद्दीकरण का कार्य करते हुए सभी सदस्यों का नाम राशनकार्ड से हटाने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

#### XI. राशनकार्ड की प्रविष्टियों में सुधार की प्रक्रिया—

वैसे लाभार्थी जो राशन कार्ड में निम्न सुधार करना चाहते हों तो परिवार के मुखिया के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से आवेदन समर्पित किया जायेगा जो आधार आधारित बायोमि्रिकि/OTP आधारित सम्पुष्टि के प्रक्रिया के उपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।

- i. नाम में Spelling Mistake का सुधार।
- ii. माता पिता के नाम में Spelling Mistake का सुधार।
- iii. लिंग में सुधार।
- iv. संबंध (Relation) में सुधार।
- v. जन्म तिथि में सुधार।
- vi. जन वितरण प्रणाली विक्रेता में बदलाव।
- vii. आधार सीडीग।
- viii. एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम स्थानांतरित कराना।

## XII. राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर का बदलाव-

वैसे लाभार्थी जो अपने राशन कार्ड में अंकित मोबाईल नम्बर में बदलाव करना चाहते हो तो उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा। लाभार्थी के आधार संख्या से सम्बद्ध मोबाईल नम्बर पर OTP आधारित सत्यापन के उपरांत ऑनलाईन प्रणाली से स्वीकृति की जा सकेगी।

- (iii) लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति विभागीय वेब पोर्टल पर लॉगिन कर के प्राप्त कर सकेंगे।
- (iv) राशनकार्ड आवेदन के प्रसंस्करण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी :-

नया राशन कार्ड के लिए ऑफलाईन या ऑनलाईन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों का डिजिटिजेशन किया जायेगा। नये राशनकार्ड के निर्माण हेतु प्राप्त फॉर्म प्राप्त में सभी आवश्यक सूचनाएँ यथा नाम, उम्र, परिवार के सदस्यों का नाम, उम्र, पता, फोटो, सभी सदस्यों का आधार संख्या (अनिवार्य), बैंक खाता संख्या, जाति प्रमाण पत्र (ऐच्छिक) विधवा, विधुर इत्यादि से संबंधित घोषणा पत्र, (अगर लागू हो तो) विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Certificate (अगर लागू हो तो) एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Certificate (अगर लागू हो तो) आदि सूचनाएँ भरकर तथा उसकी ऑनलाईन कॉपी जमा करेंगे। तत्पश्चात एक Acknowledgement number, generate होगा एवं संबंधित आवेदनकर्ता का आवेदन संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु पहुँच जायेगा।

## 7. अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान

- (i) वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हों अर्थात् वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने एवं खाद्यान्न का उठाव करने पर अग्रेतर कंडिका के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
- (ii) यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अंत्योदय/पूर्वविकता राशन कार्ड प्राप्त करता है; तो सर्वप्रथम उसके राशनकार्ड को निरस्त कर दिया जायेगा एवं अगर उसके द्वारा ऑनलाईन राशन का उठाव किया गया है तो उसके विरुद्ध निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी :
  - (क) आपराधिक कार्यवाही,
  - (ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली।
  - (ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन।
- (iii) अगर उठाव ऑफलाइन किया जाता है तो उसका पक्ष सुना जायेगा एवं 15 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर अगर दोषी पाए जाते हैं तो कंडिका-7(ii) के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।